भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

सफ्दरजंग अस्पातल, डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडीकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड अस्पताल एंड कलावती सरन चिल्ड्रेन्स अस्पताल नई दिल्ली में एक साथ "**प्रसाशनिक अधिकारी**" के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी.14017/61/2008- स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, सफ्दरजंग अस्पातल, डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडीकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड अस्पताल एंड कलावती सरन चिल्ड्रेन्स अस्पताल नई दिल्ली में एक साथ "**प्रसाशनिक अधिकारी**" पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसोदे पर कोई भी आपत्तिधारक, यदि वे चाहे तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमो के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.–II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई- मेल कर सकते हैं।

(डॉ. पुलकेश कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष - 23062744

नई दिल्ली

दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2024

सा. का. नि. -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली,भर्ती नियम 2020, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल भर्ती नियम 1977, और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली,भर्ती नियमों को, जहाँ तक उनका संबंध प्रशासनिक अधिकारी समूह 'ख' के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफ़दरजंग अस्पताल, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों में प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 है ।
   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि:** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति –
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।
5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रशासनिक अधिकारी	20 * (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । 1-**सफदरजंग अस्पताल** -08 पद 2-डॉ. **राम मनोहर लोहिया अस्पताल**-06 3-**लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध अस्पताल** -04 4-**कलावती**	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (रु. 47600 -151100 रुपये)।	चयन ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

	सरन बाल चिकित्सालय -02 पद					

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा आधार पर)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नतिः प्रोन्नति दिल्ली के सभी केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के ऐसे सहायक प्रशासन अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (रु. 47600 -151100 रुपये) में स्तर-8 में 2 साल तक नियमित सेवा की हो और जिन्होंने प्रशासन एवं सतर्कता के क्षेत्र में विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट विशेष संस्थानों और संगठनों से दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्तिः** i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्रों प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त

या सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7(44900-142400 रुपये) या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में नियमित आधार पर 2 वर्षों की सेवा की है;

और;

(ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं;

1. किसी मान्यताप्रास विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; और

(ii) सरकारी कार्यालय अथवा सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय में प्रशासन, स्थापना कार्य का दो वर्षों का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनिुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है; साधारणतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी .

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्रास करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (I) अपर महानिदेशक /उप महानिदेशक(योजना), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष; (ii) निदेशक, (प्रशासन एवं सतर्कता) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; (iii) संबंधित अस्पतालों का कार्य देखने वाले स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के उप निदेशक - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए-1018/04 /2023- एम एच-II]

(राम नरेश)

अवर सचिव, भारत सरकार